12.08 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377 *

(i) Need to ensure payment of dues to sugarcane growers

Of sugar mills in Eastern U.P.

MR. SPEAKER : The item "Matters Under Rule 377" is treated as laid on the Table of the House.

श्री राजनारायण पासी (बांसगांव) : महोद्य, मेरे संसदीय क्षेत्र बांसगांव, जनपद गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) के अन्तर्गत सरैया शुगर मिल है, जिसमें तीन हिस्सेदार हैं। उस मिल पर किसानों का लगभग 23 करोड़ रुपया बकाया है और चीनी मिल बंद हो चुकी है। जिन किसानों का रुपया चीनी मिल पर बकाया है, उन किसानों ने सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी ऋण लिया हुआ है, उन पर ऋण वसूली के लिए तरह-तरह से दबाव डाला जा रहा है तथा दूसरी ओर उन किसानों का उक्त चीनी मिल पर गन्ने मूल्य का जो बकाया है, उसको दिलाने के लिए सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है, जिसकी वजह से मेरे संसदीय क्षेत्र के किसानों में भारी रो्‌ व्याप्त है।

यह विदित ही है कि पूर्वांचल में मुख्य उद्योग चीनी मिल ही है तथा गोरखपुर और बस्ती दोनों मंडलों में किसानों का लगभग 80 करोड़ रुपये चीनी मिलों पर बकाया है।

देश के किसी भाग में कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो केन्द्र सरकार अनुदान के रूप में तमाम धन दान-स्वरूप आपदा को्‌ से दिया करती है। वर्तमान समय में पूर्वांचल के किसानों को गन्ने का बकाया मूल्य न मिल पाना मेरी समझ से एक आपदा ही है, क्योंकि किसानों को गन्ने का बकाया न मिल पाने की वजह से वे भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं तथा अपने बच्चों की शादी आदि भी नहीं कर पा रहे हैं।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि गोरखपुर व बस्ती के किसानों को उनके गन्ने का बकाया न मिलना दैवी आपदा मानकर, आपदा को्‌ से सहायता देकर उनको भुखमरी के कगार से बचाया जाये तथा आपदा को्‌ से उनको गन्ने की बकाया राशि का भुगतान कराया जाये।

इस वि्‌य में मेरा यह भी अनुरोध है कि सरकारी संरक्षण में चीनी मिल को चलाया जाये।

---

* Treated as laid on the Table of the House.